

आयालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, खैरीमुहूआ (गिरिडीह)

नाद सं० 39/2017

अभिलेख पाण्डेय - बनाम - यमुना पाण्डेय वगैरह  
द्वारा 144 के प्र० सं०

आदेश फलक

12.8.17

अभिलेख उपस्थापित। धाना प्रभारी देवरी से प्राप्त प्रतिवेदन पर सुनवाई करते हुए शान्ति व्यवस्था मंगलन की संभावना को देखते हुए प्रवृत्त भूमि पर दे० प्र० सं० की धारा 144 के तहत उक्त पट्टों के लिए निर्बंधन लगायी गयी तथा कारण पृच्छा की गयी।

पौजा	खेत नं०	फॉट नं०	रकबा
भंभलाडीह	163	115	09 बी०
"	"	116	11 बी०

पौडरी: - उ० - पारीभाली का भकान, दे० - पीपल का पेड शैरी पाण्डेय, पु० - पक्की सड़क, फ० - राम प्रसाद का शबर है।

अभिलेख का अवलोकन किया। दोनों पट्टों के ओर से कारण पृच्छा दारिगत नहीं किया गया है। यह वाद कालवधित हो चुकी है। इसलिए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अनु० दण्डाधिकारी

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
खैरीमुहूआ